राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक - प.1 (2) [illegible] शिक्षा / पाठ्यक्रम/अस्थाई/ 2006-07 / 5[illegible] दिनांक [illegible]

कुल सचिव,
एम.डी.एस. विश्वविद्यालय,
अजमेर।

विषय:- सत्र 2006-07 में पिछड़े क्षेत्र (Lagging Area) में नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ करने हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के आधार पर निर्देशानुसार निजी क्षेत्र में नवीन महाविद्यालय सत्र 2006-07 में प्रारम्भ करने हेतु निम्नांकित शर्तों पर निम्नलिखित संस्थाओं को उनके नाम के सम्मुख अंकित संकाय/विषय हेतु तीन वर्ष के लिए अस्थाई प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है, चूंकि संस्थान निर्धारित मापदंड पूर्ण नहीं करता है, अतः एक वर्ष की अवधि में मापदंड पूर्ण कर अवगत करवायें ताकि एक वर्ष बाद आपके महाविद्यालय का निरीक्षण करवाया जा सकें -

क्र. सं.	प्रायोजक संस्था का नाम व पता	प्रस्तावित महाविद्यालय का नाम	विषय/संकाय
1	2	3	4
1.	कृष्णनारायण चैरिटेबल ट्रस्ट, [illegible] भीलवाड़ा- 311001 दूरभाष- [illegible]	रूपा देवी कन्या महाविद्यालय, बाल शिक्षा मंदिर भवन, मांडल भीलवाड़ा	कला संकाय :- में अनिवार्य विषयों के अतिरिक्त इतिहास, हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, संस्कृत, अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र, राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन, गृहविज्ञान, भूगोल, संगीत, मनोविज्ञान, चित्रकला। वाणिज्य संकाय :- अनिवार्य विषयों के अतिरिक्त ए.बी.एस.टी., ई.ए.एफ.एम., व्यवसायिक प्रशासन, कम्प्यूटर एप्लीकेशन विज्ञान संकाय :- में अनिवार्य विषयों के अतिरिक्त भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र, गणित, वनस्पति शास्त्र।

1. संस्था को एक वर्ष की अवधि में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार स्वयं की भूमि पर भवन निर्माण का कार्य पूर्ण करना होगा तथा अन्य आधारभूत संरचना के कार्य भी पूर्ण करने होंगे। तदुपरान्त संस्था को इसके निरीक्षण हेतु इस कार्यालय को सूचित करना होगा।
2. संस्था/महाविद्यालय को यू.जी.सी. द्वारा समय-समय पर जारी विनियमों/दिशा-निर्देशों की शब्दशः पालना करनी होगी।
3. अस्थाई परिसर में संस्था/महाविद्यालय को प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी तथा प्रथम वर्ष/पूर्वार्द्ध की कक्षायें चलाने हेतु पर्याप्त भवन उपलब्ध होना आवश्यक है। इसी प्रकार अगले वर्षों में चलायी जाने वाली कक्षाओं के लिए तदनुसार वर्ष में भवन-उपलब्ध होना आवश्यक है।
4. शिक्षण व अन्य शुल्क बाबत राज्य सरकार के निर्णयों को लागू करने हेतु संस्था व महाविद्यालय बाध्य होंगे।
5. छात्रों के प्रवेश से पूर्व महाविद्यालय को सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता (Affiliation) प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
6. स्वीकृत पाठ्यक्रमों हेतु सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
7. महाविद्यालय में प्रवेश प्रदान करने से पूर्व निर्धारित मापदण्ड के अनुसार सुविधाओं को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सम्बद्धता प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय की होगी।
8. राज्य सरकार द्वारा वर्तमान एवं भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई अनुदान उक्त संस्था/महाविद्यालय को देय नहीं होगा।

सरोज देवी
अध्यक्ष
कृष्णनारायण चैरिटेबल ट्रस्ट
भीलवाड़ा

सचिव
श्री कृष्णनारायण चैरिटेबल ट्रस्ट
भीलवाड़ा

अध्यक्ष
रूपीदेवी कन्या महाविद्यालय
मांडल (भीलवाड़ा)

PRINCIPAL
Roopi Devi [illegible]
MANDAL, Bhilw[illegible]

(24)

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 4 (217-9/61) आकाशि/अनु/06/372 दिनांक 6/5/2010

आदेश

निम्नलिखित महाविद्यालयों को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के अनुसार अकादमी सत्र 2009-10 हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र में अभिवृद्धि निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृत की जाती है-

क्र.सं.	पं.सं.	महाविद्यालय का नाम	महाविद्यालय का पता	संबद्ध विश्वविद्यालय	विषय / संकाय
1	61	रूपी देवी कन्या महाविद्यालय	ब्यावर रोड, मांण्डल जिला भीलवाड़ा	महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर	पूर्व संचालित संकाय एवं विषय तथा नवीन विषय बी.सी.ए., बी.एस.सी. (आईटी), बी.बी.ए. पी.जी.डी.सी.ए.

[illegible] संबंधित महाविद्यालय के प्रकरण में बी.सी.आई. से [illegible]

[illegible] करने हेतु राजस्थान गैर राजकीय [illegible] में उल्लिखित भूमि भवन [illegible] सुनिश्चित करने के उपरान्त ही नये [illegible] कर पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र [illegible]

[illegible] मान्यता नहीं देगा।

[illegible] की पालना करेगी।

[illegible] अभिवृद्धि करने हेतु आवेदन करेगी।

[illegible] विश्वविद्यालय का अनुमोदन प्रस्तुत करेगी।

[illegible] प्राप्त कर पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित समयावधि में जमा करायेगी।

आयुक्त,
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –
1. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. [illegible] भीलवाड़ा।
5. [illegible]ाधिकारी, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. [illegible] सचिव, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर।
7. सचिव, सम्बन्धित महाविद्यालय
8. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
9. [illegible] / महाविद्यालय पत्रावली।
10. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (अनुदान)

PRINCIPAL
Roopi Devi Girls College
MANDAL Bhilwara

अध्यक्ष
रूपीदेवी कन्या महाविद्यालय
मांडल (भीलवाड़ा)

347

(27)

राजस्थान सरकार

उच्च शिक्षा

कार्यालय आयुक्त कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 4 (61) आकाशि/अनु/08/2001 दिनांक 6/8/10

आदेश

निम्नलिखित महाविद्यालयों को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के अनुसार अकादमी सत्र 2010–11 हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र में सशर्त अभिवृद्धि निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृत की जाती है–

क्र.सं.	पत्रा. सं.	महाविद्यालय का नाम व पता	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	विषय/ संकाय
1.	61	रूपी देवी कन्या महाविद्यालय, ब्यावर रोड, माण्डल जिला भीलवाड़ा	महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर	पूर्व आवंटित संकाय एवं विषय

1. संस्था सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में बी.सी.आई. से मान्यता व विश्वविद्यालय से सम्बद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी ।
2. संस्था को स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु मापदण्ड पूर्ण कर अगले सत्र से पहले निर्धारित अवधि में अनिवार्य रूप से विभाग को आवेदन प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा मापदण्डों के अभाव में संस्था के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की जावेगी।
3. स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु मापदण्ड :–
   (i) यूजीसी योग्यताधारी स्थायी स्टाफ पर सम्बन्धित विश्वविद्यालय से अनुमोदन
   (ii) मानदण्डानुसार संस्था के नाम भूमि व भवन
   (iii) स्टाफ का बैंक द्वारा वेतन का भुगतान
   (iv) समस्त स्टाफ की पी.एफ. कटौती
   (v) समुचित छात्र सुविधाओं का विकास
4. राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी । संस्था राज्य सरकार एवं कॉलेज शिक्षा विभाग द्वारा दिये गये सभी आदेशों/निर्देशों की पालना करेगी ।
5. संस्था सूचना का अधिकार के अन्तर्गत आवेदक को आवश्यक रूप से सूचना उपलब्ध करानी होगी।
6. संस्था द्वारा प्राचार्य एवं व्याख्याताओं की नियुक्ति पर सम्बद्धक विश्वविद्यालय का अनुमोदन प्रस्तुत करेगी ।
7. संस्था आयुक्तालय से सांख्यकी पुस्तिका प्राप्त कर पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित समयावधि में जमा करायेगी ।
8. मापदण्डों की अधिक जानकारी हेतु विभाग की वेबसाइट www.collegeeducation.rajasthan.gov.in का अवलोकन करें।

आयुक्त,
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
4. जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा।
5. विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
6. कुल सचिव, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर ।
7. सचिव, सम्बन्धित संस्था/महाविद्यालय
8. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
9. रक्षित पत्रावली ।

संयुक्त–निदेशक (अनुदान)

सचिव
रूपीदेवी कन्या महाविद्यालय
मांडल (भीलवाड़ा)

(८६)

निदेशालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

दिनांक:- [illegible].2012

क्रमांक : एफ 4 (61) आकाशि / अनु / 08 / [illegible]

आदेश

निम्नलिखित महाविद्यालयों को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के अनुसार अकादमी सत्र 2011–12 के लिए अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र में सशर्त अभिवृद्धि निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृत की जाती है–

महाविद्यालय का नाम व पता	संबंधित विश्वविद्यालय	विषय / संकाय पूर्व आवंटित विषय / संकाय
रूपी देवी गर्ल्स कॉलेज, मांडल जिला भीलवाड़ा।	महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर	

1. अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर तीन वर्ष से अधिक समय से संचालित हो रहे महाविद्यालय का सत्र 2012–13 में निर्धारित अवधि में आवश्यक रूप से नियमानुसार स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करना होगा (बिन्दु सं. 2 में अंकित मानदण्डों की पूर्ति के निर्धारित मानदण्डों की पूर्ति कर आवेदन [illegible] अस्थायी रूप में [illegible] सत्र 2012–13 [illegible] नहीं किये जाने वाले महाविद्यालयों का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने से पूर्व मानदण्डों की पूर्ति [illegible] निरस्त किये जाने का विभाग को अधिकार होगा)। अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर तीन वर्ष से अधिक समय से संचालित हो रहे महाविद्यालय को निर्धारित अवधि में सत्र 2012–13 में स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन अनिवार्य रूप से [illegible] करना होगा।
2. निर्धारित प्रपत्र व निर्धारित शुल्क सहित स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु मानदण्ड :–
   - अ. मानदण्डानुसार संस्था के नाम भूमि की पुष्टि–भवन के पंजीकृत दस्तावेज।
   - ब. यूजीसी योग्यताधारी स्थायी शैक्षणिक स्टॉफ पर संबंधित विश्वविद्यालय का अनुमोदन पत्र।
   - स. स्टॉफ को बैंक के माध्यम से वेतन भुगतान का प्रमाण पत्र।
   - द. समस्त स्टॉफ का पीएफ [illegible] पत्र
   - य. समुचित छात्र सुविधाओं की व्यवस्था।

   उक्त शर्तों की पूर्ति के बिना किया गया आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकता है।
3. संस्था सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करेगी तथा यदि महाविद्यालय के प्रकरण में बी.सी.आई. से मान्यता व विश्वविद्यालय से आवश्यकता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी।
4. राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी।
5. [illegible] एवं कॉलेज शिक्षा विभाग द्वारा दिये गये सभी आदेशों / निर्देशों की पालना करेगी।
6. संस्था द्वारा सूचना का अधिकार के अन्तर्गत [illegible] रूप से सूचना उपलब्ध करानी होगी।
7. संस्था नजदीकी राजकीय पीजी महाविद्यालय सांख्यिकी पुस्तिका प्राप्त कर पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित समयावधि में अनिवार्यतः जमा करायेगी।
8. मापदण्डों की अधिक जानकारी हेतु विभाग की वेबसाइट www.collegeeducation.rajasthan.gov.in का अवलोकन करें।

निदेशक,
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. जिला कलेक्टर– भीलवाड़ा।
5. विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. कुल सचिव, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर।
7. ~~सचिव, [illegible] / महाविद्यालय~~
8. सांख्यिकी शाखा, निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त–निदेशक (अनुदान)

निदेशालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

दिनांक:- 30/05/2013

क्रमांक : एफ 4 (61) आकाशि/अनु/06/1592

आदेश

[illegible] सत्र 2012-13 हेतु
निम्नलिखित महाविद्यालयों को [illegible] निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृत की जाती है–
अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र में सशर्त अभिवृद्धि

	महाविद्यालय का नाम व पता	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	विषय / संकाय
61	रूपी देवी गर्ल्स कॉलेज, तहसील मॉडल जिला भीलवाड़ा	महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर	पूर्व संचालित विषय / संकाय

सत्र 2013–14 में निर्धारित अवधि में आवश्यक रूप से नियमानुसार स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु निर्धारित मानदण्डों की पूर्ति कर आवेदन करना होगा।

1. अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर तीन वर्ष से अधिक समय से संचालित हो रहे महाविद्यालय को अनिवार्य रूप से सत्र 2013–14 में स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन निर्धारित अवधि में मय निर्धारित प्रपत्र व निर्धारित शुल्क सहित करना होगा।
2. स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु मानदण्ड :–
   - अ. मानदण्डानुसार संस्था के नाम स्वयं की भूमि–भवन के पंजीकृत दस्तावेज [illegible]
   - ब. यूजीसी योग्यताधारी स्थायी शैक्षणिक स्टाफ [illegible]
   - [illegible]
   - द. समस्त स्टाफ की पी.एफ. कटौती।
   - य. समुचित छात्र सुविधाओं की व्यवस्था।

   उक्त शर्तों की पूर्ति के बिना किया गया आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकता है।
3. संस्था सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में बी.सी.आई. से मान्यता व विश्वविद्यालय से सम्बद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी।

राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी।
संस्था राज्य सरकार एवं कालेज शिक्षा विभाग द्वारा दिये गये सभी आदेशों/निर्देशों की पालना करेगी।
संस्था द्वारा सूचना के अधिकार के अन्तर्गत आवेदक को आवश्यक रूप से सूचना उपलब्ध करानी होगी।
संस्था नजदीकी राजकीय पी.जी. महाविद्यालय से सांख्यिकी पुस्तिका प्राप्त कर पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित समयावधि में अनिवार्यतः जमा करायेगी।
नियमों की अधिक जानकारी हेतु विभाग की वेबसाइट www.collegeeducation.rajasthan.gov.in का अवलोकन करें।

9. संस्था द्वारा एन.एस.एस./एन.सी.सी./रोविंग एवं रेंजिंग (स्काउट/गाईड) में से किसी भी एक सहशैक्षिक गतिविधि में विद्यार्थी को भाग दिलाना होगा। इसकी सूचना समन्वयक [illegible] कालेज शिक्षा को सम्बन्धित अधिकारी का नाम एवं मोबाईल नम्बर सहित 31 जुलाई 2013 तक [illegible] से [illegible] करावें।
10. बिन्दु सं0 2 में अंकित मानदण्डों की पूर्ति कर 15 जून, 2013 तक आवश्यक रूप से दस्तावेज विभाग को प्रस्तुत करें अन्यथा सत्र 2013–14 में प्रथम वर्ष में प्रवेश पर प्रतिबन्ध रहेगा एवं महाविद्यालय का अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त किये जाने का विभाग को अधिकार होगा।
11. संस्था द्वारा [illegible] की पूर्ति निर्धारित समय पर नहीं करने की स्थिति में संस्था विभाग द्वारा निर्धारित एवं [illegible] राशि जमा करने हेतु बाध्य रहेगी।
12. राज्य सरकार की महाविद्यालय संबंधी प्रवेश नीति 2013–14 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।

निदेशक,
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा।
4. [illegible]
5. सचिव, सम्बन्धित संस्था/महाविद्यालय।
6. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

प्रमाणित सरकार
उच्च शिक्षा

निदेशालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमाक : एफ 4 (109)आकाशि/अनु/06/263 — दिनांक 03/9/2013

आदेश

निम्नलिखित महाविद्यालयों को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के अनुसार अकादमी सत्र 2013–14 में हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र में सशर्त अभिवृद्धि निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृत की जाती है–

महाविद्यालय का नाम व पता-	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	विषय/ संकाय
रूपी देवी कन्या महाविद्यालय, कॉलेज रोड, तहसील–मांडल, जिला भीलवाड़ा	महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर	पूर्व संचालित विषय/ संकाय

सत्र 2014–15 में निर्धारित अवधि में आवश्यक रूप से नियमानुसार स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु निर्धारित मानदण्डों की पूर्ति कर आवेदन करना होगा।

1. अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर तीन वर्ष से अधिक समय से संचालित हो रहे महाविद्यालय को अनिवार्य रूप से सत्र 2014–15 में स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन निर्धारित अवधि में मय निर्धारित प्रपत्र व निर्धारित शुल्क सहित करना होगा ।
2. स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु मानदण्ड :–
   अ. मानदण्डानुसार संस्था के नाम स्वयं की भूमि–भवन के पंजीकृत दस्तावेज ।
   ब. यूजीसी योग्यताधारी स्थायी शैक्षणिक स्टॉफ पर संबंधित विश्वविद्यालय को प्रेषित पत्र प्राप्ति की प्रति।
   स. स्टॉफ को बैंक के माध्यम से वेतन भुगतान का प्रमाण पत्र।
   द. समस्त स्टाफ का पी.एफ. कटौती ।
   य. समुचित छात्र सुविधाओं की व्यवस्था ।
   उक्त शर्तों की पूर्ति के बिना किया गया आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकता है।
3. संस्था सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में बी.सी.आई. से मान्यता व विश्वविद्यालय से सम्बद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी।
4. राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी।
5. संस्था राज्य सरकार एवं कालेज शिक्षा विभाग द्वारा दिये गये सभी आदेशों/निर्देशों की पालना करेगी।
6. संस्था द्वारा सूचना का अधिकार के अन्तर्गत आवेदक को आवश्यक रूप से सूचना उपलब्ध करानी होगी।
7. संस्था नजदीकी राजकीय पी.जी. महाविद्यालय से सांख्यिकी पुस्तिका प्राप्त कर पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित समयावधि में अनिवार्यतः जमा करायेगी।
8. मापदण्डों की अधिक जानकारी हेतु विभाग की वेबसाइट www.collegeeducation.rajasthan.gov.in का अवलोकन करें।
9. संस्था द्वारा एन.एस.एस./एन.सी.सी./रोवरिंग एवं रेंजरिंग (स्काउट/गाईड) में से किसी भी एक सहशैक्षणिक गतिविधि में विद्यार्थी को भाग दिलाना होगा । इसकी सूचना समन्वयक एन.एस.एस., कालेज शिक्षा को सम्बन्धित अधिकारी का नाम एवं मोबाईल नम्बर सहित 31 जुलाई 2013 तक आवश्यक रूप से उपलब्ध करवायेंगे ।
10. बिन्दु सं0 2 में अंकित मानदण्डों की पूर्ति कर 15 जून, 2014 तक आवश्यक रूप से दस्तावेज विभाग को प्रस्तुत करें अन्यथा सत्र 2014–15 में प्रथम वर्ष में प्रवेश पर प्रतिबन्ध रहेगा एवं महाविद्यालय का अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त किये जाने का विभाग को अधिकार होगा ।
11. संस्था द्वारा अंकित मापदण्डों की पूर्ति निर्धारित समय पर नहीं करने की स्थिति में संस्था विभाग द्वारा निर्धारित एवं आरोपित शास्ति भरने हेतु बाध्य रहेगी ।
12. राज्य सरकार की महाविद्यालय संबंधी प्रवेश नीति 2013–14 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।
13. संस्था की स्थापना का यह आठवां वर्ष है। विभाग के आदेश कमांक एफ4(पालिसी) काशि/अनु./1780 दिनांक 13.8.13 के अनुसार इस वर्ष अधिरोपण योग्य शास्ति की वसूली स्थगित रखी जाती है। आगामी वर्ष में संस्था द्वारा स्थाई मान्यता की शर्तें पूर्ण नहीं करने की स्थिति में संस्था से अन्य प्रभारों के अतिरिक्त वसूल योग्य होगी।

निदेशक,
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3. जिला कलेक्टर भीलवाडा।
4. कुल सचिव, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर।
5. सम्बन्धित संस्था/महाविद्यालय।
6. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
7. रक्षित पत्रावली ।

संयुक्त–निदेशक (अनुदान)

राजस्थान सरकार
शिक्षा विभाग

आयुक्तालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 4 (136) आकाशि / नि.स. / 2006 / 480 दिनांकः- 30/3/2017

आदेश

राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के आधार पर अकादमी सत्र 2015-16 से निम्नलिखित महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर पूर्व संचालित संकाय / विषय में स्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नलिखित शर्तो के साथ प्रदान किया जाता है:-

महाविद्यालय का नाम व पता	सम्बद्धक विश्वविद्यालय	पूर्व संचालित संकाय / विषय
रूपीदेवी कन्या महाविद्यालय, कॉलेज रोड़, तहसील- माण्डल, जिला-भीलवाड़ा।	महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर।	अनिवार्य विषयों सहित स्नातक स्तर पर कला संकाय- समाज शास्त्र, हिन्दी साहित्य, संस्कृत साहित्य, अर्थशास्त्र, लोकप्रशासन, राजनीति विज्ञान, भूगोल, इतिहास।

1. संबंधित विश्वविद्यालय एवं बी0सी0आई0से संबद्धत्ता प्राप्त करने का दायित्व स्वंय संस्था का होगा ।
2. संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अर्हताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ-2 अन्य निर्धारित शर्तो की पालना करेगी ।
3. राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी ।
4. संस्था को समय-2 पर यू.जी.सी. / राज्य सरकार / आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी ।
5. संस्था द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 तथा तत्सम्बन्धी नियम 1993 के सभी उपबन्धों की निरंतर अनुपालना सुनिश्चित की जावेगी ।
6. संस्था को स्थाई मान्यता इस शर्त पर जारी की जाती है कि संस्था द्वारा उपरोक्त शर्तो का कभी भीउल्लंघन करने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही कर स्थायी मान्यता को प्रत्याहरित (Withdraw) किया जा सकता है ।
7. संस्था को प्रत्येक सत्र में कम से कम एक बार आयुक्तालय से निरीक्षण करवाने हेतु आवेदन करना होगा।
8. संस्था को दो वर्ष की अवधि में NAAC से मूल्यांकन करवाना अनिवार्य होगा ।
9. विधि महाविद्यालयों को बी.सी.आई. के नियमों की निरन्तर अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी ।
10. संस्था प्रति वर्ष आयुक्तालय / नजदीकी राजकीय महाविद्यालय / विभाग की वेबसाइट www.dce.rajasthan.gov.in से सांख्यकी पुस्तिका एवं महाविद्यालय विवरणिका प्राप्त कर निर्धारित अवधि में पूर्ण सूचनायें भरकर आयुक्तालय को भेजेगी।
11. संस्था महाविद्यालय की website बनाकर आयुक्तालय को 15 दिवस में website address की सूचना देगी ।
12. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेबपोर्टल aishe.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF- II (Data Capture format- II) भरकर प्रतिवर्ष अपलोड करना अनिवार्य होगा । महाविद्यालय इसकी Hard copy आगामी 15 दिवस में आयुक्तालय में प्रस्तुत करें । इस डाटा के आधार पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विकसित वेबपोर्टल Know Your College पर महाविद्यालय की जानकारी सामान्य जन एवं छात्रों को उपलब्ध हो सकेगी ।
13. उपरोक्त शर्तो की पालना नहीं करने पर स्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को प्रत्याहरित कर लिया जायेगा।

आयुक्त 30/3
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. विशिष्ट सहायक, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3. जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा।
4. कुल सचिव, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर ।
5. सचिव, सम्बन्धित महाविद्यालय ।
6. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली

PRINCIPAL
Rupi Devi Girls College
MANDAL, Bhilwara

संयुक्त-निदेशक (निजी संस्था)
कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर